

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 // Ansari Nagar, New Delhi-110029

फ.सं./No.F. 2-7/2018- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

दिनांक/Dated

25 NOV 2020

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Assistant Stores Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 29th, अक्टूबर 2020 को सहायक भंडार अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत, श्रीमति सुमन नारनालिया, कनिष्ठ भंडार अधिकारी को सहायक भंडार अधिकारी के पद वेतन पे. मैट्रिक्स लेवल-7 (पूर्व संशोधित बैंड-2 रु.9300-34800 + रु.4600 ग्रेड पे) में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है। उन्हें एन.सी.आई., झज्जर में 07 दिनों के अंदर पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। उनके कार्यभार ग्रहण की विफलता को गंभीरता से देखा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पदोन्नति से इनकार करने के संबंध में DoPT के निर्देश निम्नानुसार:-

"....जब एक सरकारी कर्मचारी एक पदोन्नति को स्वीकार नहीं करना चाहता है जो उसे पेश की जाती है, तो वह एक लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत नहीं किया जाय और अनुरोध को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा, प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। यदि पदोन्नति से इनकार के लिए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हैं, तो चयन सूची में अगले व्यक्ति को पदोन्नत किया जा सकता है। हालाँकि, चूंकि प्रशासनिक रूप से यह संभव नहीं हो सकता है या उन लोगों को नियुक्ति की पेशकश करने के लिए वांछनीय नहीं है, जिन्होंने शुरुआत में पदोन्नति से इनकार कर दिया था, प्रत्येक अवसर पर, जिस पर पैनल की वैधता की अवधि के दौरान रिक्ति पैदा होती है, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। पहली पदोन्नति से इनकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगली रिक्ति आने तक, जो भी बाद में हो। उच्चतर ग्रेड में अंतिम पदोन्नति पर, ऐसे सरकारी सेवक वरिष्ठता को खो देंगे, जो उनके जूनियर्स उच्चतर ग्रेड पर पदोन्नत किए गए थे, भले ही इस तथ्य के बावजूद कि प्रश्न में पद चयन द्वारा भरे गए हैं या अन्यथा। उपर्युक्त नीति लागू नहीं होगी जहां अल्पकालिक रिक्तियों के खिलाफ तदर्थ पदोन्नति से इनकार कर दिया जाता है। ऐसे मामले में जहां पदोन्नति के लिए अधिकारी द्वारा मना किए जाने के कारणों को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हैं, तो उसे अधिकारी के पदोन्नति को लागू करना चाहिए और यदि अधिकारी अभी भी पदोन्नत होने से इनकार करता है, तो उसके आदेश को मानने से इनकार करने के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।"

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Assistant Stores Officer held on 29th October 2020 and its acceptance by the Competent Authority, Smt. Suman Narnaulia, Junior Stores Officer is promoted to the post of Assistant Stores Officer in the Level-7 in the Pay Matrix (Pre-revised PB-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600) from the date she assumes the charge of the post of Assistant Stores Officer at NCI, Jhajjar. She should join at NCI, Jhajjar within seven (07) days from the date of issue of this Office Order. Her failure to join will be viewed seriously and disciplinary action may be initiated. The DoPT's instructions with regard to refusal of promotion provides as under:-

"...when a Government employee does not want to accept a promotion which is offered to him, he may make a written request that he may not be promoted and the request will be considered by the appointing authority, taking relevant aspects into consideration. If the reasons adduced for refusal of promotion are acceptable to the appointing authority, the next person in the select list may be promoted. However, since it may not be administratively possible or desirable to offer appointment to the persons who initially refused promotion, on every occasion on which vacancy arises during the period of validity of the panel, no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later. On the eventual promotion to the higher grade, such Government servant will lose seniority vis-à-vis his juniors promoted to the higher grade and the prospective of the first person in the select list may be filled by selection or otherwise. The above-mentioned policy will not apply where ad-hoc promotions against short-term vacancies are refused. In case where the reasons adduced by the officer for his refusal for promotion are not acceptable to the appointing authority, then he should enforce the promotion of the officer and in case the officer still refuses to be promoted then even disciplinary action can be taken against him for refusing to obey his order."

The offer of promotion to the post of Assistant Stores Officer is subject to outcome of the SLP (C) No.30621/2011 and 31288/2017, connected to appeal (C) No. 28306/2017 in the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

[आर. संतोष कुमार / R.SANTHOSH KUMAR]
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER



श्रीमति सुमन नारनौलिया, कनिष्ठ भण्डार अधिकारी

Mrs. Suman Narnaulia, Junior Stores Officer

(द्वारा :चिकित्सा अधीक्षक /Medical Superintendent)

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख, डॉ बीआई.सी. एनएच एवं मुख्य.सी.आर.आई.ए.आर., झज्जर/Chief, Dr. BRAIRCH & Head NCI, Jhajjar
2. चिकित्सा अधीक्षक /Medical Superintendent
3. Professor-in-Charge (Procurement) / प्रोफेसर-इन-चार्ज (खरीद) /वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.)/Sr. Stores Officer (DO)
4. प्रशासनिक अधिकारी/.असप ,Admn. Officer –Hospital/DO/ Dr. BRAIRCH & Head NCI, Jhajjar
5. स्थापना अनुभाग /(अस्प)Establishment Section - Hospital/ DO/ Dr. BRAIRCH & Head NCI, Jhajjar
6. लेखा विभाग/II एवं/III ,Accounts Section- II & III / DO/ Dr. BRAIRCH & Head NCI, Jhajjar
7. जीसामान्य विभाग/संपदा विभाग/.एफ.पी.६ एआर सेल.सी.
GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell
8. एसलीगल सेल/सतर्कता विभाग/टी विभाग.एस/विभाग.सी. / SC/ST Cell/Vigilance Cell
9. संरक्षण मिसिल // Guard File
10. प्रो.इन्चार्ज -कम्प्यूटर विभाग -कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।

Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.

श्री संतोष कुमार जी.
श्री सुमन नारनौलिया
25/11
श्री सुमन नारनौलिया
26/11/2020